

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या - 2223016

पत्र संख्या-फार्म अनु0 - आ0घो0प0सं0-2022-23 /

306

/वाणिज्य कर,

कार्यालय:: कमिश्नर वाणिज्यकर, उ0प्र0 लखनऊ,


(फार्म - अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक- 27 मई, 2022

-विज्ञप्ति-

उत्तर प्रदेश वेट नियमावली-2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत में एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म-सी एवं आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करती हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम - 56 के उपनियम (9) के अंतर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूँ।

क्रम0सं0	नाम व पता	missing फार्म की संख्या	फार्म-सी /आयात घोषणा पत्रों / ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं खोने के क्रमांक	सीरीज
1	सर्वश्री गीता आटो सेल्स, अयोध्या	फार्म-सी 01 अदद	1436503	22-1436503-200
2	सर्वश्री गीता आटो सेल्स, अयोध्या	फार्म-38 03 अदद	312460, 312468, 1052045	EE
3	सर्वश्री अभिषेक इण्टरप्राइजेज चौक, अयोध्या	फार्म-38 14 अदद	320394, 318220, 2734492, 288673 , 311743 1057964, 1057965, 1057966, 1057967, 1057968, 0627864, 6027894, , 484696, 1307862	DD EE


27.5.2022
(गीता सिंह)

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पु0प0सं0 व दिनांक उक्त -

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

- (2) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर / समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / वि०अनु०शा०) वा०कर उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छाया प्रति भिजवाने का कष्ट करें।
- (3) डिप्टी कमिश्नर (उ०न्या०कार्य०) इलाहाबाद / लखनऊ।
- (4) समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या (विधि-2 सत्यापन) (85-86)-201/ बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं०-फार्म-31 (91-92)-फार्म मुद्रण-865 / बिक्रीकर दिनांक 02-11-91 के अनुसार कार्यवाही / अनुपालन / किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5) समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी / स०द०, वा०क० उत्तर प्रदेश
- (6) मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी।
- (7) विधि / मैनुअल / नई इकाई को पाँच पाँच प्रतियाँ।
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- (9) पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति-ए 138 ए सेक्टर-27 नोएडा।
- (10) श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर०-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (11) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, RD-51 राजनगर, गाजियाबाद।
- (12) महालेखाकार (कार्मशियल एवं रिसीट ऑडिट) यू०पी०, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
- (13) समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(अंजनी कुमार अग्रवाल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी०एस०टी० ऑडिट) वाणिज्य कर,
प्रभार-ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद / फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।